सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 20/2018 दायर दिनाँक 12.01.2018

वादी		प्रतिवादीगण
1. रामनिवास पुत्र पालाराम, जाति–जाट, उम्र–50साल, निवासी–प्यावाँ, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. मांगूसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह, 2. हणूतसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह, 3. मनोहरसिंह पुत्र गोपालसिंह, 4. सदाकँवर पुत्री गोपालसिंह, 5. भँवरकँवर पुत्री गोपालसिंह, 6. हिम्मतसिंह पुत्र भगवानसिंह, 7. रतनसिंह पुत्र भगवानसिंह, 8. मोहनसिंह पुत्र भगवानसिंह, 9. कायमसिंह पुत्र भगवानसिंह, 10. होशियारसिंह पुत्र भागीरथसिंह, 11. रसालकँवर पत्नी भागीरथसिंह, समस्त,जाति–राजपूत, निवासी–प्यावाँ, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 12. जयसिंह पुत्र मोहनसिंह, 13. रतनाराम पुत्र मोहनसिंह, 14. लिछमणराम पुत्र स्वर्गीय पालाराम, 15. चूनकी पत्नी स्वर्गीय पालाराम, समस्त,जाति–जाट, निवासी–प्यावाँ, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 16. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 17. मरूधरा ग्रामीण बैंक, शाखा–खुनखुना, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 18. आई.सी.आई.सी.आई.बैंक, शाखा–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्

घोषणा खातेदारी, रिकॉर्ड दुरस्ती, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा, अन्तर्गत धारा–88, 53, 188 R.T.Act.

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 20/2018
दायर दिनाँक 12.01.2018, प्राथमिक निर्णय दिनाँक 12.02.2018
रामनिवास बनाम् मांगूसिंह, वगैरा।

उपस्थितः–

1. श्री महेन्द्रसिंह खिलेरी, वकील, वादी।

–:: प्राथमिक निर्णय ::–

दिनाँक 12.02.2019

वाद के तथ्य इस प्रकार है कि, वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 15 की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 304 रकबा 57.13 बीघा मौजा प्यावाँ में अवस्थित है जिस पर मौके पर सभी खातेदारान् का उनके हक अधिकार के अनुसार मौके पर बन्टवारा हो रखा है एवं उसी अनुसार काश्त करते हैं। नकल पेश है।

वादी व प्रतिवादी लिछमण के पिता व चुनकी के पति पालाराम द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बैचाण दिनाँक 06.11.1973 को रकबा 30.00 बीघा कालूसिंह व पृथ्वीसिंह, गोमानसिंह, भगवानसिंह, दानसिंह तत्कालीन खातेदारों से पूर्ण प्रतिफल अदा कर क्रय की हुई है एवं तभी से उक्त खरीदसुदा भूमि पर पालाराम का कब्जा रहा है एवं पालाराम के स्वर्गवास के बाद वादी व प्रतिवादीगण संख्या 04 व 15 का कब्जाकाश्त चला आ रहा है।

वादग्रस्त भूमि का मौके पर बन्टवारा हो रखा है परन्तु वादी द्वारा हाल ही में नकल लेने पर ज्ञात हुआ कि वादग्रस्त भूमि का बन्टवारा बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स के नहीं हो रखा है एवं वादी व प्रतिवादीगण संख्या 14 व 15 का रकबा भी खतौनी में दर्ज नहीं है।

वादी व प्रतिवादीगण संख्या 14 व 15 का उनके पिता व पति द्वारा जरिये खरीद रकबा 30.00 बीघा भूमि पर कब्जाकाश्त व हक अधिकार है एवं वाद के साथ प्रस्तुत नजरीनक्शा में दर्शाये मार्क ए बी सी डी भू–भाग पर वादी व प्रतिवादी संख्या 14 व 15 का कब्जाकाश्त है तथा इसी अनुसार मौके पर बन्टवारा मौखिक रूप से हो रखा है।

नजरीनक्शा अनुसार ही मौके पर वादी व प्रतिवादीगण का कब्जाकाश्त है एवं उसी अनुसार हक अधिकार की भूमि अपने–अपने कब्जे में आई हुई है।

वर्तमान में सीमा विवाद होने एवं बैंक आदि सरकारी सुविधाओं के अन्दर भारी समस्याओं का समना करने के कारण नकल खतौनी दिनॉक 27.12.2017 लेने से दावा बाबत् घोषणा खातेदारी व

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 20/2018
दायर दिनाँक 12.01.2018, प्राथमिक निर्णय दिनाँक 12.02.2018
रामनिवास बनाम् मांगूसिंह, वगैरा।

बन्टवारा का करना लाजमी आया है। वादी व प्रतिवादी संख्या 14 व 15 का हित एक समान है उन्हें प्रफोर्मा पक्षकार बनाया आया है।

प्रतिवादी संख्या 16 मरूधरा ग्रामीण बैंक द्वारा जयसिंह का ऋण लिया हुआ है जिससे उसे प्रफोर्मा पक्षकार बनाया गया है व आई.सी. आई.सी.आई.बैंक से मोहनसिंह, कायमसिंह, होशियारसिंह व रसालकँवर का ऋण लिया हुआ है जिससे उन्हें पक्षकार बनाया गया है।

प्रार्थना वादी है कि,

मौजा प्यावाँ में खेत खसरा नम्बर 304 रकबा 57.13 बीघा भूमि में से नजरीनक्शा में दर्शित मार्क ए बी सी डी अनुसार रकबा 30.00 बीघा भूमि की खातेदारी वादी व प्रतिवादीगण संख्या 14 व 15 के नाम से अमल दरामद की जावे। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 14 व 15 के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 18 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 03 ता 11, 13 ता 18 के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

वाद में प्रतिवादीगण संख्या 01, 02 व 12 की ओर से इकबालिया जवाब पेश हुआ। वादी ने वाद के समर्थन में, शपथ–पत्र, नजरीनक्शा, जमाबन्दी की छायाप्रति, नक्शा ट्रेश की छायाप्रति, विक्रय–पत्र दिनाँक 06.11.1973 की छायाप्रति, पेश है।

बहस विद्वान वकील वादी की एकपक्षीय सारगर्भित बहस सुनी गयी। वाद बन्टवारा से सम्बन्धित है। वकील वादी, वाद में प्राथमिक डिक्री किया जाने में अपनी सहमति पेश करते है। वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकार दर्ज खातेदार हैं तथा विधिवत् बन्टवारा करवाना चाहते हैं। पक्षकार वादग्रस्त भूमि में खातेदार होने से विधिवत् बन्टवारा करवाने के कानूनन् हकदार हैं। ऐसी स्थिति में, वादग्रस्त भूमि का पक्षकार के बीच प्राथमिक डिक्री की जाकर, तहसीलदार डीडवाना से विभाजन प्रस्ताव लिया जाना न्यायालय को न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः, बाद विवेचन, वाद वादी, प्राथमिक डिक्री सादिर किया जाता है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व-वाद संख्या 20/2018
दायर दिनांक 12.01.2018, प्राथमिक निर्णय दिनांक 12.02.2018
रामनिवास बनाम् मांगूसिंह, वगैरा।

आदेश

दावा प्राथमिक डिक्री सादिर कर, सरहद पावाँ के खेत खसरा नम्बर 304 रकबा 57.13 बीघा भूमि का वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 15 के मध्य बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन प्रस्तावित करने का आदेश तहसीलदार डीडवाना को दिया जाता है। तहसीलदार डीडवाना दो प्रतियों में कुर्रेजात पेश करेंगे।

(रतनसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

प्राथमिक निर्णय आज दिनांक 12.02.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रतनसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

क्रमांक:—20—2018 / रीडर / 2019 / 172 दिनाँक 15/2/19

प्रेषिति:—

तहसीलदार
डीडवाना।

विषय: —प्राथमिक निर्णय की पालना करने बाबत्।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रिकॉर्ड दुरस्ती, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा, अन्तर्गत धारा—88, 53, 188 R.T.Act.

वादी		प्रतिवादीगण
1. रामनिवास पुत्र पालाराम, जाति—जाट, उम्र—50साल, निवासी—प्यावाँ, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. मांगूसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह, जाति—राजपूत, निवासी—प्यावाँ, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, वगैरा।

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित प्राथमिक निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। प्राथमिक निर्णयानुसार पालना कर, पालना रिर्पोट भिजवायें, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हो।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner